बाल कल्याण अधिकारियों की भूमिका

किशोर न्याय अधिनियम (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) 2000 यथा संशोधित 2006 की धारा 63 के तहत प्रत्येक थाने पर एक पुलिस अधिकारी जो बच्चों से संव्यवहार करते हो को इस अधिनियम के तहत वैधानिक रूप से बाल कल्याण अधिकारी के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है।

बाल कल्याण अधिकारी के कार्य एवं जिम्मेदारियों उक्त अधिनियम में प्रयुक्त निम्न जिम्मेदारियों एवं कार्यों का निष्पादन बाल कल्याण अधिकारी का मौलिक कर्तव्य है।

- देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों से संव्यवहार के सभी मामले बाल कल्याण अधिकारी के होंगे।

सामान्य कार्य, जिम्मेदारी व अपेक्षित व्यवहार

- बाल कल्याण अधिकारी बच्चों/किशोरों से बातचीत के दौरान उनके सर्वोत्तम हित के प्रति पूर्ण सहानभूति रखेंगे।
- बच्चों/किशोरों की भूख, प्यास, मत्रमूत्र जैसी सभी शारीरिक जरूरत का ध्यान रखें।
- बच्चो/किशोरों से पुलिस थाने में सभी के सामने पूछताछ न करें। जिससे उनको अपराध बोध की आवृत्ति होने की सम्भावना हो सकती है। बातचीत के लिए उपयुक्त स्थान का प्रयोग करें जहां बच्चा/किशोर अपने आप को सहज समझे।
- बच्चों/किशोरों से बात करते समय उनके समतल होकर बात करें। उदाहरतया यदि बच्चा कद में आप से छोटा है तो आप उसके समतल बैठकर बात करें, इससे बच्चा सहज महसूस करेगा और आपके प्रश्नों का उत्तर भी विस्तार से दे सकेगा।
- सभी बाल कल्याण अधिकारी के पास बाल कल्याण समिति व किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों, चाइल्ड लाइन का नम्बर विशेष किशोर पुलिस ईकाई के सदस्यों व एन0जी0ओ0 के नम्बर व नाम हो और सम्बध थानों में प्रमुखता से दर्शाये गये हों।
- बच्चों/किशोरों से पूछताछ के समय मृदभाषा का प्रयोग करे।

- बच्चों/किशोरों से प्रश्न करते समय कब कहां, कैसे, किसलिए किधर, कितने, किस जगह इत्यादि जैसे प्रश्नों से शुरूआत करें, इससे जानकारी विस्तृत होगी और विवेचना में आपको प्रक्रिया का पता चल सकेगा।
- प्रयास करें कि प्रश्न पूछते समय किशोर/बच्चों से **क्यों** का इस्तेमाल न करें, ये प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है और आपको पूर्ण जानकारी से वंचित होना पडेंगा।
- किशोर/बच्चों को यदि गंभीर चोटें आई हो तो उसका तुरन्त मेडिकल करवाना अपेक्षित है।
- बालिका/किशोरी से पूछताछ, बोर्ड के समक्ष प्रस्तुति, मेडिकल जांच के दौरान महिला आरक्षी के अधीन करवायें।
- यदि किसी कारण बालिका/किशोरी को रोका जाए तो उसे महिला आरक्षी के अधीन रखा जाए।
- यदि महिला आरक्षी उपलब्ध न हो तो सम्बन्ध किशोर न्याय अधिनियम में रजिस्टर्ड एन0जी0ओ0 की महिला कार्यकर्ता की सहायता लें।

सभी प्रकार के व्यय जो विधि से संघर्षरत किशोर या देखभाल व संरक्षण वाले बच्चे के खाने–पीने, यात्रा में लगे हो वो विवेचना खर्च से अदायगी होंगे।

देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों हेतु बाल कल्याण अधिकारी से अपेक्षित व्यवहार

- बाल कल्याण अधिकारी सदैव सादे कपड़ों में रहें।
- लापता बच्चों से सम्बंधित विवरण रोजनामचा आम (जनरल डायरी) में लिखे।
- बच्चे के माता–पिता को ढूढ़ने का प्रयास करें और बच्चे गुमशुदगी पाये जाने की सूचना दें।
- गुमशुदा बच्चे का विवरण सूचना प्रसार के माध्यम से तत्काल दें।
- लापता बच्चे की तस्वीर गुमशुदा विभाग को विवरण सहित प्रेषित करें।
- लापता बच्चे के पास बरामद सामान का विवरण सूचना प्रसार के माध्यम से तत्काल दें।

- गुमशुदा बच्चे को बिना देर किये बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करें। बच्चे को 24 घण्टे के भीतर यात्रा में लगे समय को छोड़कर समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।
- यदि समिति बैठक में नहीं है तो किसी भी एक सदस्य के समक्ष 24 घण्टे के भीतर प्रस्तुत करें। (धारा 30 उपधारा (2)) समिति के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले बच्चे को माता–पिता या किसी उपयुक्त व्यक्ति के अधीन रखेंगे।
- यदि बच्चों के माता–पिता/सरंक्षक की सूचना थाने को प्राप्त हो गई हो और थाने तक पहुंचने में उनको थोड़ा समय लग रहा हो तो या जांच में समय लग रहा हो तो उस अवस्था में बाल कल्याण अधिकारी प्रपत्र–10 (नियम 27 का उपनियम (18)) को भरवाकर किसी उपयुक्त संस्था जो बच्चे के लिए सुरक्षित हो के अधीन रख सकता है और सामाजिक प्रष्ठभूमि रिपोर्ट के साथ इस प्रपत्र को समिति के समझ प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त करवा सकता है।
- जिन जनपदों में चाइल्ड लाइन सेवाएं चल रही है बाल कल्याण अधिकारी बच्चे के माता–पिता को ढूढ़ने व पुनर्वास के लिए उनकी सहायता प्राप्त कर सकते है।
- यदि बच्चे को चिकित्सीय आवश्यकता है तो बिना देरी किए उसे चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करवायें।
- यह सुनिश्चित करें कि जितने समय के लिए बच्चा जिस उपयुक्त व्यक्ति/संस्था के अधीन रखा गया है वहां उसके खाने–पीने, खेलने, आराम करने व मत्रमूत्र की अच्छी सुविधा हो।
- एक बाल कल्याण अधिकारी के रूप में आपसे अपेक्षित है कि जब कभी भी आप किसी व्यस्क द्वारा एक बच्चे को डराते–धमकाते, उकसाते देखें तो मध्यस्ता कर उस व्यस्क को उचित परामर्श दें।
- आप अपने जनपद या थाना क्षेत्र के उन एन0जी0ओ0 जो आश्रय देने या बच्चों के हितधारक के रूप में कार्यरत है उनसे अच्छा सामन्जस बना कर रखें।

क्या न करें :–

देखभाल एवं संरक्षण वाले बच्चों के संदर्भ में अपेक्षित व्यवहार

- बच्चे की पहचान जहां तक वो बच्चे के हित में हो किसी भी मीडिया या सूचना प्रसार माध्यम को न दें। (धारा 21)
- बच्चे के माता–पिता को ढूढ़ने हेतु सूचना में देरी न करें।
- गुमशुदा विभाग को सूचना देने में देरी न करें।
- देखरेख एवं संरक्षण वाले बच्चे को न्यायालय या किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत न करें। उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।
- देखरेख एव संरक्षण वाले बच्चे को पुलिस स्टेशन में न रखें।
- देखरेख एवं संरक्षण वाले बच्चे से सम्बंधित दस्तावेज सामान्य अपराधी वाले रिकार्ड के साथ न रखे उसके लिए एक अलग रिकार्ड बनाएं और मामला निष्पादित होने पर उसे नष्ट कर दें।
- पुलिस थाने में देखरेख एवं संरक्षण वाले बच्चों की व्यक्तिगत फाइल न बनाएं, न ही कोई फोटो रखें, न ही उनके फिंगर प्रिंट लें।